

उत्तराखण्ड ने वाहनों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तराखण्ड सरकार** ने एक नवीन नयिम क्रियान्वति किया जिसके तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों में **गार्बेज बैग** अथवा **कूड़ादान** रखना अनिवार्य होगा।

- इस उपाय का उद्देश्य **उत्तरदायीपूर्ण पर्यटन** को बढ़ावा देना और **उत्तराखण्ड के मूल पर्यावरण** को संरक्षण करना है।

मुख्य बडि

- **नरीक्षण:** परविहन वभिग अनुपालन सुनश्चिति करने के लयि प्रवेश बडिओं पर वाहनों का नरीक्षण करेगा।
- **ट्रपि कार्ड:** वाहनों को **ट्रपि कार्ड** तभी नरिगत कयि जाएंगे जब उनमें **अपशषिट नपिटान संबंधी आवश्यक सुवधिएँ** होंगी।
- **दस्तावेज़ीकरण:** वाहन उपयोगकर्त्ताओं को **ट्रपि कार्ड** प्राप्त करने के लयि **पंजीकरण प्रमाण-पत्र, फटिनेस प्रमाण-पत्र, बीमा-पत्र और प्रदूषण प्रमाण-पत्र** जैसे **वैध दस्तावेज़** प्रस्तुत करने होंगे।
- **व्यापक रणनीति:** यह पहल **उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता**, वशिषकर लोकप्रयि पर्यटन मार्गों का संरक्षण करने के एक व्यापक प्रयास का हसिसा है।
- **सहयोग:** परविहन वभिग इस नयिम को क्रयान्वति करने के लयि पडोसी राज्यों से सहयोग की मांग की।
- **सामूहिक उत्तरदायतिव:** यह वनियिमन राज्य की स्वच्छता बनाए रखने में नविसयिओं और पर्यटकों के साझा उत्तरदायतिव पर ज़ोर देता है।